

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

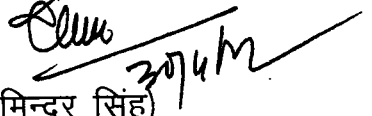
क्रमांक C/3231 /

जबलपुर, दिनांक 01 / 05 / 2025

II-14-82/05

श्रीमती ममता शर्मा, सीनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ-ग्वालियर को दिनांक 23.12.2024 से 14.01.2025 तक 23 दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15.01.2025 से 11.02.2025 तक 28 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार


(धरमिन्दर सिंह)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/3232 /

जबलपुर, दिनांक 01 / 05 / 2025

II-14-82/05

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 1625/स्था. ग्वालियर, दिनांक 11/03/2025 के संदर्भ में श्रीमती ममता शर्मा, सीनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर का निर्धारित प्रपत्र, अनफिट-फिटनेश चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चिकित्सा पेपर्स को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)